संख्या-572/2025/457/22-2-2022-17(416)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवारे लोध पुत्र श्री सूरजदीन, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कुंवारे लोध पुत्र श्री सूरजदीन, ऐलई, थाना-खागा, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 22.08.1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर थम्सअप की पॉच बोतले लिए हुए आया और लाकअप से पेशी पर जा रहे मुल्जिम रमेश, गिरीश, कर्नल सिंह, अनूप और मुन्नालाल को एक-एक बोतल दे दी। वादी व पुलिस कर्मियों द्वारा रोके जाने पर मुल्जिम गाली गलौज करने लगे और गिरीश ने कहा कि यह मेरे साथ के कुंवारे लोध हैं साथ में ही मुल्जिम थे अभी जमानत पर हैं, बाहर का आदमी नहीं है और सभी मुल्जिम मजिस्ट्रेट के पास पहुँचे तथा एक के बाद एक बेहोश होकर गिर पड़े तब विश्वास हुआ कि बोतल में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया है, जिससे 04 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-900/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302,328 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-1, फतेहपुर के आदेश दिनांक 05.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 14 वर्ष 10 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध कारित किये जाने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 22.08.1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर थम्सअप की पॉच बोतलों में जहरीला पदार्थ मिलाकर लाकअप से पेशी पर जा रहे 05 मुल्जिमों को एक-एक बोतल दे दी, जिससे 04 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवारे लोध पुत्र श्री सूरजदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवारे लोध (बन्दी संख्या-112/2007) पुत्र श्री सूरजदीन, निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-572/2025/457(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-572/2025/457/22-2-2022-17(416)/2022

दिनांक 19 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवारे लोध पुत्र श्री सूरजदीन, ऐलई, थाना-खागा, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 22.08.1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर थम्सअप की पॉच बोतले लिए हुए आया और लाकअप से पेशी पर जा रहे मुल्जिम रमेश, गिरीश, कर्नल सिंह, अनूप और मुन्नालाल को एक-एक बोतल दे दी। वादी व पुलिस कर्मियों द्वारा रोके जाने पर मुल्जिम गाली गलौज करने लगे और गिरीश ने कहा कि यह मेरे साथ के कुंवारे लोध हैं साथ में ही मुल्जिम थे अभी जमानत पर हैं, बाहर का आदमी नहीं है और सभी मुल्जिम मजिस्ट्रेट के पास पहुँचे तथा एक के बाद एक बेहोश होकर गिर पड़े तब विश्वास हुआ कि बोतल में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया है, जिससे 04 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-900/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 328 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-1, फतेहपुर के आदेश दिनांक 05.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 14 वर्ष 10 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 22.08.1990 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर थम्सअप की पॉच बोतलों में जहरीला पदार्थ मिलाकर लाकअप से पेशी पर जा रहे 05 मुल्जिमों को एक-एक बोतल दे दी, जिससे 04 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवारे लोध पुत्र श्री सूरजदीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।